Non-availability of Tenth Class Syllabus

2325. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the copy of Tenth Class syllabus of CBSE for the students appearing in March, 1996 and question papers of previous years including French, of Tenth Class for the years 1994 and 1995 are not available for sale to the public;

(b) whether it is a fact that public is being turned away on the ground that the papers are not available; and

(c) what steps Government propose to take to make these papers available to the public at the CBSE sajes counter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KM. SEUA): (a) to (c) As per information received from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the copies of the Syllabus of Class X for the examinations to be conducted by the Board in 1996 are available for sale to the schools, students and the general public. The authorised publisher has not puiblished the Question Papers of years 1994 and 1995 for public sale because of Copy-right Dispute which is sub-judice in the Delhi High Court. However, all the Question papers including those of French are available for reference in the office library of the Board and the copies of the same can also be obtained on request by the schools. The Board propose to make all arrangements for the sale of Question Papers at its own Sales Counter after a decision is taken by the Delhi High Court in the above-mentioned Copy-right Dispute case.

नेहरू रोजगार योजना के प्रति बैंकों का असहयोग रवैया

2526.**चौधरी हरमोहन सिंह**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या नेहरू रोजगार योजना के प्रति बैंकों का रवैया असहयोगपूर्ण रहा हैं;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान इस योजना के अतर्गत बैकों द्वारा राज्यवार कितना-कितना सहयोग दिया गया हैं;और

(ग) उक्त मामले के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से की गई बातचीत का ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में वित्त मंत्रालय से क्या जवाब मिला ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क)और (ख) नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत गत तीन वर्षो के दौरान बैंकों के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या विवरण में हैं । (**नीचे देखिए**) योजना की कार्यान्वयन पद्वति में बैंकों के बेहतर सहयोग से सुधार लाने के लिए वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के समन्वयन से सतत आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रक्रिया गत कठिनाइयों यथा ऋण आवेदनों को लम्बे समय रखने,अधिक संख्या में रद्द करने,ऋण की मात्रा अत्यन्त कम होने,कुछेक बैंकों द्वारा ऋण आवेदन स्वीकार न करने,परियोजनाओं के उपादेय न होने,सूमे के तहत लाभार्थियों की पहचान,गरीबी रेखा को ऊंचा करने,"परिवार" शब्द परिवार की परिभाषा की समस्या तथा निवास स्थान आदि की शर्त से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम हेतु संस्थागत ऋण सहायता बाबत उच्चाधिकार समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया गया,जिसमें वित्त मंत्रालय,भारतीय रिजर्व बैंक,योजना आयोग,शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे । उच्चाधिकार समिति की पिछली बैठक 19 सितम्बर,1994 को हुई थी ।

भारतीय रिवर्ज बैंक ने शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत ऋण आवेदनों को नियम समय-सीमा में निबटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को पुनः निर्देश दिये हैं । उन्होंने बैंक प्रबन्धकों को शिक्षित करने तथा उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सभी संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोगी व्याख्यान सत्र शामिल करने के भी बैंकों को निर्देश दिये हैं,ताकि वे सभी गरीबी उपशमन योजनाओं में विहित भावना के सही ढंग से समझ सकें । राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत अनिर्णीत ऋण आवेदनों की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिये गये हैं । लाभार्थियों की सही पहचान के लिए कार्यदल गठित किये गये हैं जिनमें शहरी स्थानीय निकाय स्तर के बैंकों को शामिल किया गया हैं । शहरी लघु उद्यम प्रथम